राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–भीलवाड़ा

क्रमांक :– 3569 **दिनांक :–** 30-11-15

–आवश्यक सूचना–

आवास आवंटन हेतु लॉटरी

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पति निस्तारण अधिनियम 1970 के विभिन्न प्रावधानो के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीकृत प्रतिक्षारत योग्य आवेदक जिन्होने देय पूर्व ग्रहण राशि जमा करा दी है तथा आवास सख्या आवंटित होना शेष है को ही लॉटरी के माध्यम से आवास संख्या आवंटन किया जाना प्रस्तावित हैं।

कार्यक्रम	योजना का नाम	पंजीकरण वर्ष	आय वर्ग	विशेष विवरण
आवास आवंटन	प्रियदर्शनी नगर (सुवाणा), भीलवाडा	RS-2012	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग–अ	
		RS-2014	अल्प आय वर्ग/म. आय वर्ग 'अ'	
	पटेल नगर विस्तार, भीलवाडा	RS-2010	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	
		RS-2014	मध्यम आय वर्ग 'अ' एवं 'ब'	
	रायला, जिला भीलवाडा	RS-2012	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग	

क्र. सं.	कार्यवाही विवरण	दिनांक/समय
1	योग्य/अयोग्य आवेदको की पूर्णतया अस्थायी सूची का प्रदर्शन	08.12.15 सायं 5.00 बजे
2	अस्थायी सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	15.12.15 सायं 3.00 बजे तक
3	आक्षेप प्राप्ति के बाद योग्य आवेदको की अंतिम स्थायी सूची का प्रदर्शन	18.12.15 सायं 4.00 बजे तक
4	लॉटरी की कार्यवाही (जिला आवंटन समिति की बैठक)	22.12.15 सायं 04.00 बजे

लॉटरी का स्थानः– कार्यालय आवासीय अभियंता, सी – 289– 290, आर.के.कॉलोनी, भीलवाडा में कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा की जायेगी। अतः उक्त योजनाओ से सम्बधित समस्त आवेदक जिनको इस कार्यालय द्वारा पूर्व में ही आरक्षण पत्र जारी कर पूर्वग्रहण राशि (सीडमनी) जमा हेतु सूचित किया जा चुका है उन सभी आवेदको को पुनः सूचित किया जाता है यदि आपने पूर्व ग्रहण राशि की किश्ते जमा करा दी हो तो चालान की प्रति/अथवा नहीं जमा कराई हो तो दिनांक 08.12.2015 को अपरान्ह 3:00 बजे तक भी बकाया पूर्व ग्रहण राशि मय सेवाकर तथा ब्याज जमा कराकर चालान की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 08.12.2015 तक प्रस्तुत कर देवें। अन्यथा आवास आवंटन लॉटरी में शामिल होने से वंचित रहने पर राजस्थान आवासन मण्डल की कोई जिम्मेदारी नही होगी। उक्त कार्य्रवाही से सम्बधित व अन्य प्रकरणो हेतु जिला आवंटन समिति (राजस्थान आवासन मण्डल) के द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एंव मान्य होंगे। अन्य संबन्धित जानकारी के लिये आवासीय अभियंता भीलवाड़ा के कार्यालय में अथवा फोन नं. 01482–220312 पर सम्पर्क किया जा सकता है तथा मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

आवासीय अभियंता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड– भीलवाडा

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत–उदयपुर

D:\RHB 2015-16\L\LOTTERY\LOTTERY PROGRAMME